जज अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम– मण्ड़ावर (दौसा)

राधेश्याम बनाम रामकिशोर

किस्म मुकदमा – 39/23 नंबर 5/07 सं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी हुए
12.2.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र पर वकील वादी की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश वादपत्र दिनांक 17.3.26 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	
17.03.26	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
39/2023	10.07.2023	17.03.2026

बउनवान

1. राधेश्याम पुत्र रमसी, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..वादी

बनाम

1. रामकिशोर पुत्र रेवडमल, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. लीलाराम पुत्र रेवडमल, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
3. परभाती पत्नी रेवडमल, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
4. लाली देवी पत्नी लीलाराम, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
5. पूजा देवी पत्नी महेन्द्र, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
6. छोटी देवी पत्नी रामकिशोर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
7. नवीन पुत्र रामकिशोर, निवासी बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. अभिभाषक वादी – श्री लीलाराम मीना।

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी की भूमि विवादित आराजीयात खतौनी संख्या 84 के खसरा सं. 1003 लगा. 1008, 925 लगा. 928, 931 लगा. 933, 952 लगा. 955, 959, 960, 963, 964, 969, 970, 984 लगा. 996 कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. ग्राम बाबडीखेडा, पटवार हल्का बावडीखेडा, तहसील बैजूपाडा में स्थित है। विवादित आराजीयात में वादी का 1/8 हिस्सा भूमि को मौके पर सहखातेदारों ने बांट रखा है। विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना, सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण, वादी की गरीबी व असहाय का नाजायज फायदा उठाकर वादी की भूमि अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने पर आमादा है तथा वादी की भूमि पर जबरन पुख्ता निर्माण करके नाकाबिल काश्त कराने पर आमादा है जबकि उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को कोई लेना देना नहीं है। प्रतिवादीगण के द्वारा पूर्व में भी दिनांक 17.06.2022 को वादी व उसके परिवारजन के साथ प्रतिवादीगण के द्वारा विवादित आराजीयात पर जबरन कब्जा करने आने व मारपीट करने के कारण प्रार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 347/2022 जुर्म धारा 323, 341, 447, 34, 325 आई.पी.सी. में दर्ज करवायी जिसमें प्रतिवादीगण को मुलजिमान मानते हुये अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 447 323, 341, 325, 34 में आरोप पत्र न्यायालय मे पेश किया जो न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि. बॉदीकुई के यहां विचाराधीन

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

है अब पुनः प्रतिवादीगण दिनांक 15.06.2023 को प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात पर आये तथा वादी से कहने लगे कि अब हम तुझे तेरी भूमि पर बाजरा नही बोने देगे तेरी भूमि पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करके हम दादागिरी से तुमको बेदखल करके रहेगे तथा तुमको काश्त नही करने देगे यदि भूमि पर आये तो जान से मार देगे तथा आमादा फिसाद हो गये। बडी मुश्किल से लोगो ने बीच बचाव करवाया नही तो वादी को अप्रार्थीगण जान से मार देते। प्रार्थी ने कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी की है तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है तो प्रतिवादीगण आमादा फिसाद होने लगे बड़ी मुश्किल से लोगो ने बीच बचाव करवाया नहीं तो वादी को जान से मार देते यदि प्रतिवादीगण अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो वादी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से सम्भव नहीं हो सकेगी व गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरम्यान फरीकेन चल पडेगे जो बाय से बरबादी वादी होंगे। ऐसी सूरत में सिवाय दावा के और कोई चारा नजर नही आया इस कारण दावा हाजा पेश करना लाजिम आया। विनाय दावा व मुखास्मत दिनांक 15.06.2023 को प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने से अन्दर हदूद न्यायालय पैदा हुई है अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने नौक्र एजेन्टों घरवालों या अपने मददगाराने के वादी की उक्त विवादित आराजीयात पर अपना नाजायज जबरिया कब्जा करने से, जबरिया खाम या पुख्ता निर्माण करने से, भूमि में उगे पेड पौधे घासफूस आदि को खोदने व काटने से, वादी को फसल बोते समय काटते समय किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से, वादी के उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से दवामि तौर पर पाबंद रहें। मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

2. वादी का वाद पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रतिवादीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए इनके जवाब का अवसर बंद कर दिया गया।

3. वादी की ओर से स्वयं वादी राधेश्याम पुत्र रमसी साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा शपथ पत्र वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत किया जिसमे वाद पत्र के तथ्यों को लिखा गया तथा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी संवत् 2073–2076 प्रदर्श–1 की ।

4. वाद पत्र पर अभिभाषक विद्वान अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार वाद पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक वादीगण की बहस पर मनन किया। स्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 में प्रावधान है कि :

*188. **दोषपूर्ण बेदखली के विरुद्ध व्यादेश**– (1) कोई अभिधारी, जिसकी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग पर के अधिकार या उसके उपभोग पर उसके भू–धारक अथवा किसी अन्य द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार किये जाने का भय हो, शाश्वत व्यादेश के लिए बाद ला सकेगा।*

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

(2) न्यायालय, आवश्यक जांच करने के पश्चात् निम्नलिखित मामलों में शाश्वत व्यादेश दे सकेगा, अर्थात:–

(क) यदि अतिक्रमण द्वारा कारित या संभाव्य वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करने के लिए कोई मानक विद्यमान न हों;

(ख) यदि अतिक्रमण ऐसा हो कि धनीय मुआवजे से पर्याप्त अनुतोष न मिल सके;

(ग) जब यह अधिसंभाव्य हो कि अतिक्रमण के लिए धनीय मुआवजा प्राप्त नहीं किया जा सकता;

(घ) जहां कार्यवाहियों की बहुलता को रोकने के लिए व्यादेश आवश्यक हों।

5. विवादित आराजी की जमाबंदी संवत 2073–2076 से स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा सं. 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 925, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 952, 953, 954, 955, 959, 960, 963, 964, 969, 970, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996 कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. के वादी दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है जबकि प्रतिवादीगण इसके रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। वाद पत्र के जरिये वादी, प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण के द्वारा अतिचार किये जाने से बचाने के लिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

आदेश

6. वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 डिक्री किया जाकर ग्राम बाबडीखेडा, पटवार हल्का बाबडीखेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खाता संख्या 84 के खसरा सं. 1003 लगा. 1008, 925 लगा. 928, 931 लगा. 933, 952 लगा. 955, 959, 960, 963, 964, 969, 970, 984 लगा. 996 कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजीयात के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.03.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE 1908, APPENDIX "D"-1)

अज अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मुकाम मण्डावर**

इजलास – **अमित कुमार वर्मा, आर.ए.एस.**

अनुवान – **राधेश्याम बनाम रामकिशोर वगै.**

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत
धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं. 39/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री लीलाराम मीना, विद्वान एडवोकेट वादी मिनजानिब मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का स्थायी व्यादेश जारी किया जाता है कि प्रतिवादीगण ग्राम बाबडीखेडा, पटवार हल्का बाबडीखेडा, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित विवादित आराजी खसरा सं. 1003 लगा. 1008, 925 लगा. 928, 931 लगा. 933, 952 लगा. 955, 959, 960, 963, 964, 969, 970, 984 लगा. 996 कुल किता 36, कुल रकबा 7.03 हैक्टे. के वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखेंगे। साथ ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रुकावट, मजहमत, मदाखलत नहीं करेंगे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने से नहीं रोकगें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 17.03.2026 को जारी की गई।

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	–	–	स्टाम्प अरजीदावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
गहनताना वकील पर			गहनताना वकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा.....			बबत इजराय हुकमनामा.....		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी • मण्डावर (दौसा) •

(अमित कुमार वर्मा) **R.A.S.**
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर दौसा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)